संख्या पी -13013/95/2023-यूडीआईडी /आईटी /सांख्यिकी

भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग

5 वाँ तल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली-110003

दिनांक 15 अक्टूबर, 2025

परिपत्र

विषय: सरकारी नियोक्ताओं (GE) या सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों (GIHE) और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों (OHEI) में नौकरी या प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों के मामलों का निपटान करने के लिए संशोधित परामर्श और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)।

अधोहस्ताक्षरी को उपर्युक्त विषय का संदर्भ लेने और यह बताने का निर्देश हुआ है कि दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने सरकारी नियोक्ताओं (GE), सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों (GIHE), और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों (OHEI) में नौकरी या प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले बेंचमार्क दिव्यांगजनों (PwBD) से संबंधित मामलों का निपटान करने के लिए एक संशोधित परामर्श और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है।

2. इस विभाग के पत्र संख्या पी-13013/95/2023- यूडीआईडी /आईटी /सांख्यिकी दिनांक 17.09.2024 द्वारा परिचालित पूर्ववर्ती परामर्श-सह-मानक संचालन प्रक्रिया का अधिक्रमण करते हुए, संलग्न परामर्श और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की जाती है। सभी संबंधित अधिकारियों से अनुरोध है कि वे इसके कार्यान्वयन हेतु आवश्यक कार्रवाई करें और इसका अनुपालन सुनिश्चित करें।

3. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

संलग्न: यथोपरि।

(मनीष कुमार मिश्रा)

अवर सचिव, भारत सरकार

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी सचिव।

2. सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों के अपर मुख्य सचिव (स्वास्थ्य)/प्रधान स्वास्थ्य सचिव/ सचिव, स्वास्थ्य विभाग/स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय ।

3. समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव/समाज कल्याण विभाग के सचिव/समाज कल्याण विभाग के निदेशक (सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार) ।

4. केंद्र, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के सभी भर्ती और परीक्षा निकायों के अध्यक्ष/प्रमुख।

प्रतिलिपि:

1. मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन का कार्यालय (CCPD), नई दिल्ली

2. राज्य मुख्य आयुक्त दिव्यांगजन (SCPD) (सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार)

3. वेब प्रबंधक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग को इस अनुरोध के साथ कि इसे व्यापक प्रचार हेतु विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें ।

(मनीष कुमार मिश्रा)

संख्या पी-13013/95/2023-यूडीआईडी/आईटी/सांख्यिकी

भारत सरकार
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय
(दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग)

दिनांक: 15 अक्टूबर, 2025

सरकारी नियोक्ताओं (GE) या सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों (GIHE) और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों (OHEI) में नौकरी या प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों के मामलों का निपटान करने के लिए संशोधित परामर्श और मानक संचालन प्रक्रिया (SOP)

संदर्भ:

1. इस विभाग के दिनांक 26.04.2016 और 04.01.2018 की राजपत्र अधिसूचनाएं जिसमें दिव्यांगता प्रमाणन के लिए दिव्यांगता मूल्यांकन दिशानिर्देश (SOP) निर्धारित किए गए हैं।
2. आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 18(5) के जरिए जनवरी, 2017 में ऑनलाइन स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से यूडीआईडी परियोजना का शुभारंभ किया गया।
3. swavlambancard.gov.in पोर्टल के माध्यम से दिव्यांगता प्रमाण पत्र जारी करने की अनिवार्यता संबंधी इस विभाग की दिनांक 21.05.2021 की राजपत्र अधिसूचना।
4. विभाग की अधिसूचना संख्या: 38/16-2020/डीडी III (नोट 8) दिनांक 4 जनवरी 2021 जिसके तहत दिव्यांग व्यक्ति की नियुक्ति से पहले सरकारी नियोक्ताओं को दिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रामाणिकता सत्यापित करने और कार्यात्मक आवश्यकता के संदर्भ में अभ्यर्थी की उपयुक्तता की जांच करने का आदेश दिया गया है।
5. दिव्यांगता के पुनर्मूल्यांकन हेतु अपील पर जारी SOP, जिसे इस दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिनांक 19.06.2024 को जारी किया गया है।
6. केस संख्या 14380/1031/2023 में सीसीपीडी के दिनांक 05.03.2024 का आदेश जिसमें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार को एनएमसी के नामित मेडिकल बोर्डों के मूल्यांकन के विरुद्ध बेंचमार्क दिव्यांग छात्रों की अपीलों का निपटान करने के लिए एक संरचना बनाने का निर्देश दिया गया है।

7. इस विभाग की दिनांक 12.03.2024 को जारी राजपत्र अधिसूचना तथा समय-समय पर यथा-संशोधित के अनुसार दिव्यांगता प्रमाणन के लिए दिव्यांगता मूल्यांकन दिशानिर्देश (SOP)।
8. सरकारी नियोक्ताओं (GE) या सरकारी और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों (GIHE और OHEI) के लिए दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा दिनांक 17.07.2024 को निर्धारित अपीलीय तंत्र।
9. इस विभाग द्वारा UPSC को भेजा गया पत्र संख्या 18-25/2024/नीति दिनांक 25.04.2025 जिसमें किसी भी संगठन को चिकित्सा परीक्षण करके नौकरी के लिए दिव्यांगता की स्थिति/उपयुक्तता को सत्यापित करने के लिए अधिकृत किया गया **है**।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 32 में सभी सरकारी उच्च शिक्षा संस्थानों **(GIHE)** और सरकार द्वारा सहायता प्राप्त अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों **(OHEI)** में बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों के लिए सीटों पर कम से कम पाँच प्रतिशत के आरक्षण का प्रावधान है । इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा 34 में समुचित सरकार को प्रत्येक सरकारी प्रतिष्ठान में पदों के प्रत्येक समूह में संपूर्ण संवर्ग की कुल रिक्तियों की कम से कम चार प्रतिशत रिक्तियों में ऐसे बेंचमार्क दिव्यांगजनों को नियुक्त करने का भी अधिदेश है, जिन्हें इस अधिनियम की धारा 33 के तहत बेंचमार्क दिव्यांगता वाले व्यक्तियों से भरे जाने के लिए उपयुक्त सरकार द्वारा विधिवत रूप से चिन्हित किया गया हो। यह आवश्यक है कि नौकरी/पाठ्यक्रम की कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने वाले वास्तविक बेंचमार्क दिव्यांग आवेदकों का ही चयन किया जाए। यह व्यापक SOP इसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर जारी की जा रही है।

उपर्युक्त नौकरियों और उच्च शिक्षा पाठ्यक्रमों में चयन की प्रक्रिया काफी कठिन है और इसके परिणामस्वरूप इसमें प्रतिस्पर्धा भी उतनी ही कड़ी है। हाल ही में, फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने या वास्तविक दिव्यांगता से भिन्न या अधिक दिव्यांगता प्रतिशत होने की कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इसलिए, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, संदर्भ-4 और 6 के अनुपालन में और संदर्भ-8 का अधिक्रमण करते हुए, वर्तमान व्यापक दिशानिर्देश (SOP) जारी कर रहा है।

1. **यह सुनिश्चित करना कि दिव्यांगता प्रमाणपत्र वास्तविक है**: सभी दिव्यांगजनों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने हेतु जनवरी, 2017 (संदर्भ-2) में "विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र (UDID)" परियोजना शुरू की गई थी। तदनुसार, संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों द्वारा अधिसूचित सक्षम चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा दिव्यांगजनों (संदर्भ-1 और 7) के चिकित्सा

मूल्यांकन के माध्यम से दिव्यांगजनों को दिव्यांगता प्रमाण पत्र और विशिष्ट दिव्यांगता पहचान पत्र जारी किए जाते हैं। यहाँ यह उल्लेख करना उचित है कि नि:शक्तजन अधिनियम, 1995 में उल्लिखित 7 दिव्यांगताओं को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम में बढ़ाकर 21 कर दिया गया था ।

दिव्यांगजन अधिकार नियम, 2017 के नियम-20 के अनुसार, निरस्त नि:शक्तजन अधिनियम, 1995 के अंतर्गत जारी किए गए दिव्यांगता प्रमाण पत्र, दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के लागू होने के बाद भी उसमें विनिर्दिष्ट अवधि तक वैध बने रहेंगे। इसी नियम के नियम 18(5) के अनुसार, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग ने यह अनिवार्य किया है कि 01.06.2021 से दिव्यांगता प्रमाण पत्र केवल स्वावलंबन पोर्टल के माध्यम से ही तैयार किया जाएगा। हालाँकि, उक्त पोर्टल में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 या नि:शक्तजन अधिनियम, 1995 के तहत पूर्व में तैयार किए गए मैन्युअल दिव्यांगता प्रमाण पत्रों के डिजिटलीकरण का प्रावधान रखा गया था। अब, इस कार्य का अधिकांश भाग भी पूरा हो चुका है।

तदनुसार, सभी GEs/GIHEs/OHEIs से अनुरोध है कि वे यूडीआईडी पोर्टल से दिव्यांगता प्रमाण पत्र/यूडीआईडी कार्ड की वैधता को प्रमाणित करें। इस उद्देश्य के लिए, उन्हें व्यक्तिगत आवेदकों की दिव्यांगता पर उसी समय में, प्रामाणिक अपडेट के लिए एपीआई के माध्यम से यूडीआईडी के राष्ट्रीय डेटाबेस के साथ अपने संबंधित पोर्टल को एकीकृत करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है। यूडीआईडी के एपीआई को एमओयू की एक मानक प्रक्रिया के तहत विभाग द्वारा जीई/जीआईएचई/ओएचईआई के साथ साझा किया जा सकता है। इसके अलावा, GEs/GIHEs/OHEIs को सलाह दी जाती है कि वे नौकरी संबंधी अपनी अधिसूचना/प्रवेश दिशा-निर्देशों के माध्यम से आवेदकों को निर्देश दें कि वे अपने मैनुअल प्रमाण पत्र (यदि कोई हो) को समय सीमा के भीतर यूडीआईडी पोर्टल पर डिजिटल रूप में बदल लें, ताकि एपीआई-आधारित प्रमाणीकरण हो सके। हालांकि, यदि उम्मीदवार द्वारा एक मैनुअल पुराना दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाता है, तो इसे राज्य सरकार के संबंधित जारीकर्ता प्राधिकारी द्वारा मान्य किया जा सकता है।

2. यह सुनिश्चित करना है कि दिव्यांगता के प्रकार और प्रतिशत का सही तरीके से आकलन किया गया है और यह जॉब/पाठ्यक्रम की कार्यात्मक आवश्यकताओं को पूरा करता है

वर्तमान में, दिव्यांगजनों को संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा अधिसूचित विभिन्न जिला/उप-जिला अस्पतालों में चिकित्सा परीक्षण की एक विकेन्द्रीकृत व्यवस्था के माध्यम से यूडीआईडी कार्ड जारी किया जाता है। दिव्यांगता मूल्यांकन हेतु देश के विभिन्न भागों में उपलब्ध अवसंरचना, विशेषज्ञता और प्रशिक्षण के आधार पर उपरोक्त संदर्भ-6 के अनुसार जारी किए गए दिव्यांगता मूल्यांकन दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। हालांकि, यह संभव है कि GE/GIHE/OHEI द्वारा पैनलबद्ध चिकित्सा संस्थान/अस्पताल/चिकित्सा बोर्ड विभाग (डीईपीडब्ल्यूडी) द्वारा जारी दिव्यांगता मूल्यांकन दिशानिर्देशों का उपयोग करके दिव्यांगता का अधिक सटीक मूल्यांकन करने के लिए उपकरणों, उपस्करों, मशीनों, प्रौद्योगिकियों के मामले में बेहतर तरीके से सुसज्जित कर सकते हैं। इसलिए चिकित्सा संस्थान/अस्पताल/चिकित्सा बोर्ड, GE/GIHE/OHEI में जॉब या दाखिले के लिए अभ्यर्थी की दिव्यांगता का आंकलन करते समय उन उपकरणों, उपस्करों के मूल्यांकन का अतिरिक्त उपयोग कर सकते हैं।

यह उल्लेख करना भी उचित है कि दिव्यांगता मूल्यांकन दिशानिर्देश किसी व्यक्ति में दिव्यांगता की सीमा सिद्ध करने के लिए तैयार किए गए हैं और यह आवश्यक रूप से किसी विशेष जॉब या शैक्षिक पाठ्यक्रम आवश्यकताओं के लिए व्यक्ति की फिटनेस का आश्वासन नहीं देता है। इसलिए, कई GE/GIHEs/OHEIs, बेंचमार्क दिव्यांग आवेदकों की चिकित्सकीय जांच भी करें, ताकि आवेदक की उस पाठ्यक्रम/पद के लिए उपयुक्तता का पता लगाया जा सके, जिसके लिए GE/GIHE/OHEI द्वारा उन पर विचार किया जा रहा है। यदि जॉब/दाखिला की उपयुक्तता स्थापित करने के लिए आवश्यक जानकारी का सेट यूडीआईडी डाटाबेस में उपलब्ध तीन दस्तावेजों अर्थात यूडीआईडी कार्ड, दिव्यांगता प्रमाण पत्र और डायग्नोस्टिक्स शीट में से किसी में भी उपलब्ध नहीं है, तो पहले संदर्भित उपयुक्त परीक्षण/प्रक्रिया/प्रोटोकॉल को भी जीई/जीआईएचई/ओएचईआई द्वारा चिकित्सा परीक्षा की प्रक्रिया में शामिल किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि GE/GIHE/OHEI द्वारा देश भर में पर्याप्त संख्या में अस्पतालों को पैनलबद्ध किया जाए, ताकि बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिक दूर न जाना पड़े।

3. **यह सुनिश्चित करना कि यदि बेंचमार्क दिव्यांगजन GE/GIHE/OHEI के पैनलबद्ध अस्पताल के निर्णय से व्यथित हैं तो अपीलीय तंत्र मौजूद हो।**

यदि अभ्यर्थी को पैनलबद्ध अस्पताल के निर्णय के विरुद्ध कोई शिकायत है तो सीसीपीडी ने उपरोक्त संदर्भ-6 के अनुसार GE/GIHE/OHEI द्वारा अपीलीय अस्पताल उपलब्ध कराने का भी आदेश दिया है। इसलिए, प्रस्तावित जॉब/दाखिला के लिए बेंचमार्क दिव्यांग आवेदकों की उपयुक्तता और दिव्यांगता की सीमा के पुनर्मूल्यांकन के लिए GE/GIHE/OHEI द्वारा अपील व्यवस्था भी उपलब्ध कराए जाने की उम्मीद है।

*****